नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर कारपोरेशन लिमिटेड

प्रथम वार्षिक रिपोर्ट
१९७६-७७

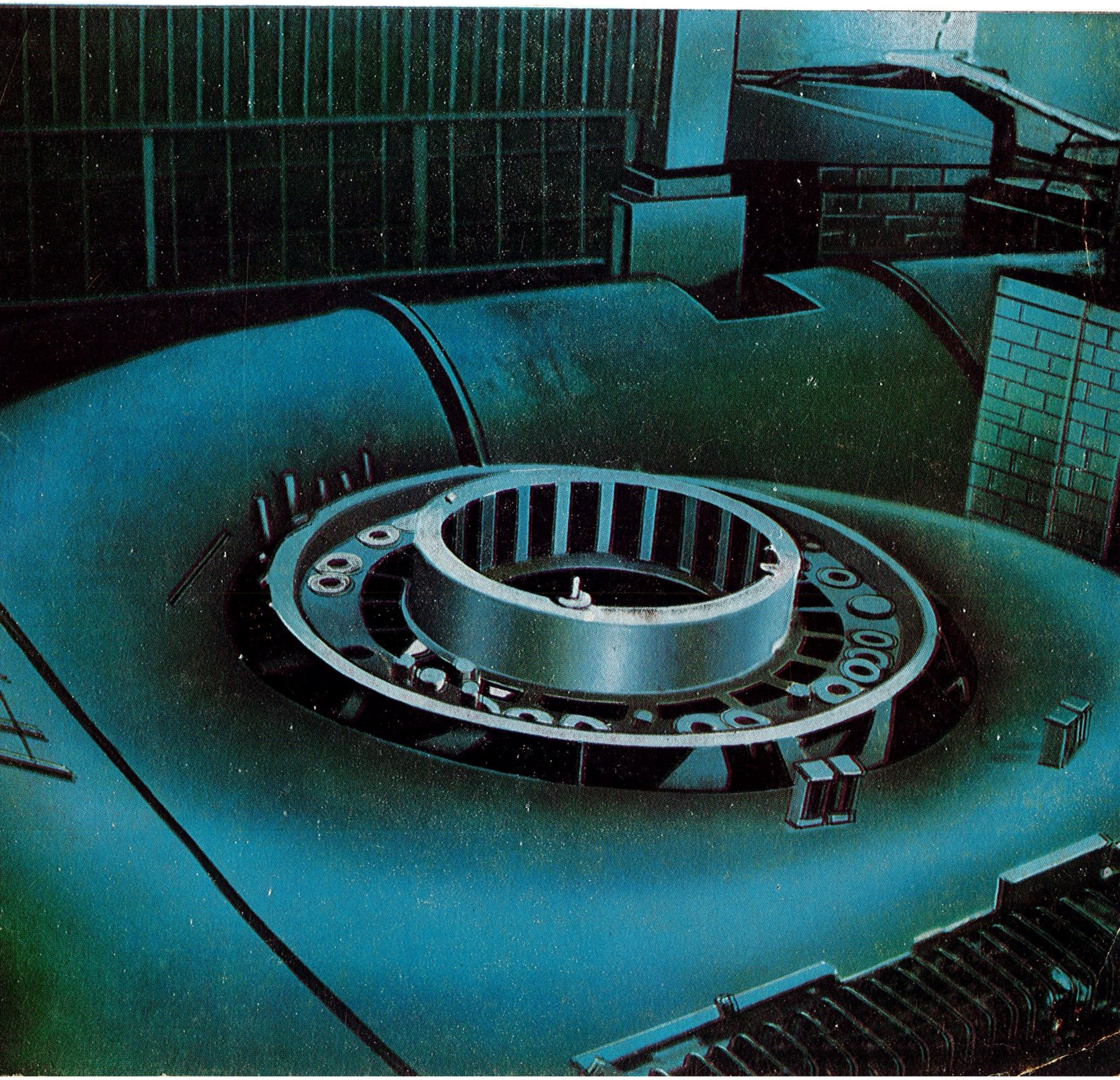

अनुक्रम

	पृष्ठ
निदेशक बोर्ड	3
सूचना	5
अध्यक्षीय भाषण	7
निदेशकों का प्रतिवेदन	11
वित्तीय विवरण	17
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	29

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	श्री एस० एन० राय
निदेशक	श्री वाई० के० मूर्ति
	श्री के० एस० सुब्रह्मणयम (31-10-77 तक)
	श्रीमती अतिमा बोर्दिया (10-8-77 तक)
	श्री वी० कृष्णास्वामी (4-3-77 से)
	श्री आर० गोपालास्वामी (10-8--77 से)
	श्री ए० एन० सिंह (21-11-77 से)
	श्री एस० बी मजुमदार (30-11-77 से)
सचिव	श्री डी० एन० गुप्ता
लेखा परीक्षक	मैसर्स एस० एन० धवन एंड कं० नई दिल्ली
बैंकर	स्टेट बैंक आफ इंडिया
पंजीकृत कार्यालय	मंजूषा, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110024

सूचना

सूचित किया जाता है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड की पहली वार्षिक साधारण बैठक जो 29 अप्रैल, 1977 को स्थगित कर दी गयी थी, अब निगम के पंजीकृत कार्यालय, मंजूषा, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में 28 दिसम्बर, 1977 को होगी, जिसका कार्यक्रम निम्न है —

1. 7-11-75 से 31-3-77 तक की अवधि के लिये कम्पनी के लेखा परीक्षित तुलनपत्र एवं निदेशकों, लेखा परीक्षकों तथा भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के तत्संबंधी प्रतिवेदन को प्राप्त व स्वीकार करना।

2. किसी अन्य विषय को अनुप्रस्थ करना जिसे अध्यक्ष की अनुमति से वार्षिक साधारण बैठक में अनुप्रस्थ किया जाता हो।

यह हमारी दिनांक 12-12-1977 को दी गयी पूर्व सूचना का प्रतिस्थापन है।

नई दिल्ली
दिनांक 19 दिसम्बर, 1977

बोर्ड के आदेश से
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन
लिमिटेड के लिए

(डी० एन० गुप्ता)
सचिव

टिप्पणी : कोई भी सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार है, अपनी अनुपस्थिति में अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने व मत देने का अधिकार दे सकता है। प्रतिनिधि को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिनिधि की सूचना वार्षिक साधारण बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 24 घंटे पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में स्टाम्प कागज पर दी जानी चाहिये।

ग्रध्यक्षीय भाषण

सज्जनो,

ग्रापके निगम की प्रथम साधारण वार्षिक बैठक में ग्रापका स्वागत करते हुए मैं गर्व का ग्रनुभव कर रहा हूं। 29 ग्रप्रैल, 1977 को भी ग्रल्पावधि बैठक में हमारी भेंट हो चुकी है, लेकिन उस समय तक निरीक्षित लेखा व तुलनपत्र के उपलब्ध न होने के कारण ग्राप सबकी सहमति से बैठक को वैधानिक निरीक्षकों द्वारा लेखा के निरीक्षण होने के समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। ग्रब परिशीलन हेतु निरीक्षित लेखा व निरीक्षण-विवरण ग्राप को दे दिये गये हैं।

2. 7 नवम्बर, 1975 को कंपनी एक्ट के ग्रंतर्गत ग्रापके निगम का विधिवत पंजीकरण हो गया था, लेकिन कारगर रूप से यह मेरे निगम के कार्यभार संभालने के दिन, 1 जून, 1976 से ही ग्रस्तित्व में ग्राया। निगम के निदेशकों ने प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 महीने की ग्रवधि—1 ग्रप्रैल से 31 मार्च तक—को निगम का वित्तीय वर्ष स्वीकार करने का निश्चय किया है, किन्तु स्थापना के प्रथम वित्तीय वर्ष पंजीकर्ता की ग्रनुमति से 7 नवम्बर 1975 से (जिस दिन निगम का विधिवत पंजीकरण हुग्रा था) 31 मार्च, 1977 तक माना जाएगा। ग्रतः निरीक्षित लेखा एवं निदेशकों के प्रतिवेदन में 7 नवम्बर 1975 से 31 मार्च 1977 तक का विवरण प्रस्तुत है। भविष्य में वित्तीय वर्ष की ग्रवधि 1 ग्रप्रैल से ग्रगले वर्ष की 31 मार्च तक, 12 महीने की होगी तथा वार्षिक विवरण एवं वार्षिक लेखा भी तदनुसार ग्रापकी सेवा में रखा जाएगा।

3. निदेशकों के प्रतिवेदन में, जो कि ग्रापकी सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है, निगम के कार्यकलाप की विस्तृत समीक्षा उपलब्ध है। ग्रतः इस समय मैं ग्रापके सम्मुख परिशीलन एवं विचार हेतु केवल कतिपय प्रमुख विषयों को ही रखूंगा।

4. यद्यपि ग्रापका निगम कारगर रूप से 1 जून, 1976 को ही ग्रस्तित्व में ग्राया था, ग्रभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल लोकतक जल विद्युत परियोजना को ही 1 जनवरी, 1977 से इसके ग्रंतर्गत विधिवत स्थानांतरित किया गया है। ग्रन्य दो केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनाग्रों—हिमाचल प्रदेश की बायरा सियुल जल विद्युत परियोजना तथा जम्मू कश्मीर की सलाल जल विद्युत परियोजना—को निगम के ग्रन्तर्गत विधिवत स्थानांतरित करने का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन हम ग्राशा करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 1977-78 में इन दोनों परियोजनाग्रों का स्थानांतरण हो जाएगा। इस बीच केन्द्रीय सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग की राय के ग्रनुसार ग्रनौपचारिक रूप से तीनों केन्द्रीय जल विद्युत परियोजनाग्रों के कार्यकलापों की देखभाल जून 1976 से ग्रापके निगम के हाथ में है।

5. निगम द्वारा लोकतक जल विद्युत परियोजना का कार्यभार संभालने के समय यह ग्रनुभव किया गया कि परियोजना के लिये उपलब्ध भौतिक व निर्माण संबंधी सुविधाएं ग्रपर्याप्त हैं। परियोजना के नगर में ग्रावास की उचित सुविधा नहीं थी तथा जल, चिकित्सा ग्रादि नागरिक सुविधाएं भी ग्रपर्याप्त थीं। बच्चों के लिए स्कूलों की कोई भी व्यवस्था नहीं थी ग्रौर छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रतिदिन इम्फाल तक जाना और वापस ग्राना पड़ता था। यातायात एवं सामग्री को लाने-ले जाने, संचार ग्रादि की व्यवस्था को भी तुरंत सुदृढ़ किये जाने की ग्रावश्यकता थी। ग्रापके निगम ने कमियों को दूर करने के लिए विशिष्ट रचनात्मक कार्य किया है। नये मकान बनाये गये हैं तथा जल की ग्रापूर्ति में भी सुधार किया गया है। लिमाटक व लोकतक में एक-एक प्राथमिक स्कूल खोलकर शिक्षा संबंधी सुविधा प्रदान करने के क्षेत्र में भी कदम उठाये गये हैं। परियोजना में पहले बैंक की कोई व्यवस्था भी नहीं थी ग्रौर इस समस्या का निवारण स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया से वहां एक शाखा खुलवा कर किया गया है। माल ढोने व यातायात तथा संचार की व्यवस्था में भी सुधार हुग्रा है। निर्माण कार्य व नगरोपयोगी विद्युत प्रदान करने वाले डीज़ल पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता में भी सुधार हुग्रा है। उपर्युक्त प्रयासों के सफल परिणाम सामने ग्राये हैं। न केवल परियोजना के कार्य की गति बढ़ी है, ग्रपितु उसमें काम करने वाले ग्रधिकारियों व कर्मचारियों का ग्रात्मविश्वास ग्रौर मनोबल भी बढ़ा है।

6. यद्यपि निदेशकों के प्रतिवेदन में इस बात की विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी है, तथापि मैं यह रेखांकित करना चाहूंगा कि लोकतक परियोजना का जो कार्य आपके निगम ने अपने हाथ में लिया है, वह बहुत कठिन व संश्लिष्ट है। फिर भी यह संतोष का विषय है कि आपके निगम को ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग, मणिपुर राज्य सरकार तथा केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल विद्युत परियोजना नियंत्रण बोर्ड और साथ-ही-साथ परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी समस्याओं व चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होंगे।

7. अन्य दोनों केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं—बायरा सियुल जल विद्युत परियोजना, तथा सलाल जल विद्युत परियोजना—जिनके भी शीघ्र ही निगम में स्थानांतरित होने की संभावना है, में भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। निगम को सब ओर से जो सहायता मिल रही है, उसे दृष्टि में रखते हुए इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि निगम वहां भी अपने कार्यकलापों में पूर्णतः सफल रहेगा।

8. सज्जनो, हम अभी भी प्रतिष्ठापित होने की अवस्था में हैं तथा एक प्रभावी व सक्षम संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया में हैं। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमने अपने कार्य को सफल बनाने के लिए एक सुदृढ़ आधार-शिला रख दी है। अभी तक ज्यादातर सरकारी विभागों व अन्य सहयोगी संस्थानों से डेपुटेशन पर आये अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति निगम में की गयी है, लेकिन निगम नियुक्ति का कार्य स्वयं संभालने का प्रयास कर रहा है। अनेक पदों के लिए नियुक्ति करने के लिए निगम पहले से ही तत्पर है। सहयोगी संस्था नेशनल थरमल पावर कार्पोरेशन के साथ संयुक्त प्रयास के पश्चात हमने इंजीनियरिंग में कुछ कार्यकारी प्रशिक्षार्थियों का चुनाव किया था उनमें से कुछ की नियुक्ति हाल ही में अभियन्ता पद पर हो चुकी है। हमने ब्यास-सतलुज सेतु परियोजना, जो कि अब समाप्रयाय है, में से भी कतिपय योग्य व अनुभवी अभियन्ता अधिकारियों की नियुक्ति की है।

9. जैसा कि निदेशकों के प्रतिवेदन में भी उल्लेखित है, आपका निगम कुछ नई जल विद्युत परियोजनाओं का उत्तर-दायित्व वहन करने का इच्छुक है, ताकि समय पर भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करके परियोजना के कार्यान्वियन पर अपव्यय होने वाले समय को बचाया जा सके और समस्त कार्य सुव्यवस्थित व नियोजित रूप से किया जा सके। अब निगम ने अपने कार्यक्षेत्र में दृढ़ता से पैर जमा लिए है और इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है। जैसा कि निदेशकों के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट हो जाएगा, हमने कई पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य को भी अपने हाथ में लिया है और इस क्षेत्र में और अधिक कार्य का उत्तरदायित्व संभालने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

10. आपको ज्ञात है कि पिछले काफी अर्से से देश को विद्युत-शक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी के कारण देश के विकासशील उद्योगों, कृषि आदि को क्षति पहुंची है व देश की आर्थिक व सामाजिक विकास गति भी धीमी पड़ गयी है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस दिशा में अगले पांच वर्षों में 22,000 मेगा वाट बिजली के अधिक उत्पादन की योजना है। अतः देश के सम्पूर्ण विद्युत शक्ति क्षेत्र को यह चुनौती है और आपका निगम इस विकासशील कार्य-क्रम में अपना अधिकाधिक सहयोग देने को तत्पर है।

11. भारत में जल के अपार साधन हैं जिनका उपयोग विद्युत-शक्ति के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हमारे ईंधन प्राप्ति के साधन सीमित होने वाले हैं व भविष्य के लिए उन्हें आरक्षित करके रखा जा सकता है, जबकि जल, जो कि एक बार यदि बहकर समुद्र में पहुंच जाए तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि में पुनः उपलब्ध नहीं होता। यह देश के हित में है कि समस्त आर्थिक स्थिति तथा अल्पकालिक व दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्युत स्रोतों का समन्वित रूप से नियोजन व उपयोग किया जाय।

12. निगम जल शक्ति के स्रोतों की खोज करने की तुरन्त आवश्यकता पर बल देना चाहता है। इस दिशा में हमें विभिन्न प्रयास करने होंगे। अनेक नई योजनाएं बनानी होंगी ताकि भलि-भांति छान-बीन करके नये प्राविधान व परियोजनाएं निर्मित हों और उन परियोजनाओं में से तकनीकी-आर्थिक विचार-विनिमय के पश्चात चुनाव किया जा सके। जहां पहले ही इस प्रकार की छान-बीन हो चुकी है तथा योजना का औचित्य सिद्ध हो चुका है, वहां इसे कारगर रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सम्मति प्रदान करना उचित होगा। जो परियोजना में पहले से ही अस्तित्व में है उनके कार्यकारी चक्र को छोटा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए ताकि कम से कम समय में उन से उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

13. जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं निगम ने अपने कार्यक्षेत्र में स्थानांतरित लोकतक परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न आवश्यक क़दम उठाये हैं। बायरा सियुल एवं सलाल परियोजनाओं के निगम के अधीन स्थानांतरित हो जाने के पश्चात, उनके संबंध में इसी प्रकार के प्रयास किये जाएंगे। जबकि निगम इन परियोजनाओं के शीघ्रतिशीघ्र कार्यान्वयन के सभी प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, वह अनेक नई जल विद्युत परियोजनाओं का उत्तरदायित्व संभालने का भी अवसर प्राप्त करने का इच्छुक है।

14. सज्जनो, अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने मुझे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है, अतः शीघ्र ही मैं निगम से विदा लूंगा। इस संस्थान को जिसमें मुझे आप सबका सहयोग प्राप्त हुआ है, छोड़ते हुए मुझे दुःख है लेकिन मुझे आशा है कि निगम अब एक सुदृढ़ नींव पर खड़ा है और मेरे उत्तरवर्ती अध्यक्ष इस स्थिति में होंगे कि अपने सम्मुख आने वाली सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें, निगम के कार्य स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे, तथा जो विश्वास केंद्रीय सरकार ने इस निगम में व्यक्त किया है, उस पर खरे उतर सकें।

एस. एन. राय

नई दिल्ली,
दिनांक 28 दिसम्बर, 1977

निदेशकों का प्रतिवेदन

सज्जनो,

मैं, ग्रापको निदेशकों की ग्रोर से इस नये संस्थापित निगम के कार्यकलापों तथा ग्रापके निगम के निरीक्षित लेखा व लेखा निरीक्षक के 7 नवम्बर, 1975 से 31 मार्च, 1977 तक के विवरण को प्रस्तुत करते हुए हर्ष का ग्रनुभव कर रहा हूं।

2. ग्राप के निगम की विधिवत स्थापना 7 नवम्बर, 1975 को हुई। उस दिन कंपनी एक्ट 1956 के ग्रंतर्गत इसका पंजीकरण किया गया, लेकिन निगम का कारगर रूप केवल 1 जून, 1976 को ग्रापके ग्रध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक द्वारा कार्यभार संभालने के बाद ही स्पष्ट हुग्रा। ग्रापके निदेशकों ने निश्चय किया है कि निगम के वित्तीय वर्ष की ग्रवधि 12 मास की रहेगी जो कि प्रति वर्ष 1 ग्रप्रैल को शुरू होकर ग्रगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगी। कंपनी के पंजीकर्ता से निगम के प्रथम वित्तीय वर्ष की ग्रवधि 7 नवम्बर, 1975 (निगम के विधिवत पंजीकरण के दिन) से 31 मार्च 1977 तक मानने की ग्रनुमति प्राप्त कर ली गयी है। ग्रतः इसी ग्रवधि के ग्रनुरूप निगम की वार्षिक तथा लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

3. पूंजी का स्वरूप

3.1 नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० केन्द्रीय सरकार का संस्थान है। इसकी ग्रधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपए है जो कि 1000/- रुपए प्रति शेयर के 20 लाख शेयरों में विभक्त है। संगम ज्ञापन तथा संगम ग्रनुच्छेद के ग्रनुसार केंद्रीय सरकार, ग्रथवा राज्य सरकार, जिसके ग्रधिकार क्षेत्र के ग्रंतर्गत एक जल विद्युत परियोजना ग्रवस्थित है, केंद्रीय सरकार की ग्रनुमति है निगम से, समस्त शेयर पूंजी में योगदान देंगी। ग्रभी तक निगम का समस्त निवेश केंद्रीय सरकार द्वारा ही किया गया है।

3.2 31 मार्च, 1977 तक केंद्रीय सरकार निगम की शेयर-पूंजी में 4,52,33,000/- रुपए का निवेशक कर चुकी है। इसके ग्रतिरिक्त 1 जनवरी, 1977 को मणिपुर राज्य के लोकतक जल विद्युत परियोजना के केंद्रीय सरकार के ग्रधिकार क्षेत्र से निगम के ग्रधिकार में स्थानांतरित होने के कारण 32,32,62,200 रुपए की राशि 31 मार्च, 1977 तक केंद्रीय सरकार के खाते में से निगम के खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है। बाद में केंद्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि उपर्युक्त धनराशि जो कि लोकतक जल विद्युत परियोजना के क्रय मूल्य के रूप में निगम को हस्तांतरित की गयी है उस में से 16,85,29,600 रुपए की राशि को साम्य शेयरों के रूप में निवेश राशि समझा जाए तथा शेष को कर्ज समझा जाए। इस कर्ज पर निगम को प्रति वर्ष 10 1/2 प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। यदि यह समय पर चुका दिया गया तो इसमें 1/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की छूट मिलेगी ग्रन्यथा देर होने की स्थिति में 13 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज देना होगा।

3.3 केंद्रीय सरकार के उपर्युक्त ग्रादेशानुसार लोकतक जल विद्युत परियोजना हस्तांतरित मूल्य का प्रायः समायोजन किया जा चुका है। पर ग्रापके निगम ने ऊर्जा मंत्रालय के शक्ति विभाग को ग्रपना ग्रावेदन प्रस्तुत किया है कि कर्ज पर दिये जाने वाले ब्याज के भारी बोझ को कम किया जाए ग्रन्यथा परियोजना से उत्पादित बिजली के मूल्य में भारी वृद्धि होने की ग्राशंका है। मंत्रालय से ग्रनुरोध किया गया है कि लोकतक जल विद्युत परियोजना द्वारा देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों का ग्रार्थिक विकास करने के ग्रपना मूल उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु इस परियोजना के लिए समस्त निवेश का साम्य शेयर पूंजी के रूप में ही प्रदान करके ग्रौर इस राशि के किसी भी ग्रंश को कर्ज माने बिना ही, निगम को परियोजना के मूल्य को कम रखने में सहायता दी जाए। ग्रभी तक केंद्रीय सरकार ने निगम द्वारा किये गये इस ग्रनुरोध के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, तथा निगम ग्रभी भी इस मुद्दे के विषय में केंद्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

4. निगम का कार्य-भार

4.1 आपको विदित ही है कि नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

1. केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तथा उद्देश्यों के अनुरूप जल विद्युत शक्ति की योजना तैयार करना, उसके सभी पक्षों को समाकलित करके आयोजित करना, जैसे—योजना, निर्माण, छान-बीन, संभावनाएं व जल विद्युत परियोजना की रिपोर्ट, जल विद्युत पावर स्टेशनों व परियोजनाओं का निर्माण कार्य, उत्पादन, उन्हें चलाना व रख-रखाव, जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का संचारण, बटवारा व विक्रय आदि तथा,

2. बिजली का अंतर्राज्यों में समय व सुचारू रूप से आदान-प्रदान करने हेतु आवश्यकतानुरूप अंतराज्यीय पारेषण लाइनों व आनुषंगिक कार्यों का निर्माण करना।

4.2 निगम की स्थापना के समय प्रस्तावित किया गया था कि किन्हीं अन्य नई परियोजनाओं अथवा कार्यों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में सीधे आने वाली निम्न तीन जल विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ में निगम के कार्यक्षेत में स्थानांतरित कर दी जाएंगी :

1. 3×35 मेगावाट की क्षमता वाली मणिपुर राज्य स्थित लोकतक जल विद्युत परियोजना।

2. 3×60 मेगावाट बिजली उत्पादित करने में समर्थ हिमाचल प्रदेश स्थित बायरा सियुल जल विद्युत परियोजना।

3. प्रथम चरण में 3×115 मेगावाट बिजली उत्पादित करने में समर्थ जम्मू-कश्मीर स्थित सलाल जल विद्युत परियोजना।

4.3 उपर्युक्त तीन परियोजनाओं में से अभी तक केवल मणिपुर राज्य स्थित लोकतक जल विद्युत परियोजना का ही स्थानांतरण 1 जनवरी, 1977 से निगम के अधीन किया गया है। अन्य दो परियोजनाओं—हिमाचल प्रदेश स्थित बायरा सियुल परियोजना व जम्मू-कश्मीर स्थित सलाल परियोजना का स्थानांतरण अभी कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में है। निगम को आशा है कि अगले कुछ महीनों में यह कार्य संपन्न हो जाएगा। तथापि, उपर्युक्त परियोजनाओं के विधिवत स्थानांतरण होने से पूर्व ही निगम अनौपचारिक रूप से इनका कार्यभार संभाले हुए है तथा भारत सरकार की ओर से समय-समय पर तत्संबंधी आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

4.4 लोकतक जल विद्युत परियोजना, जिसका स्थानांतरण 1 जनवरी, 1977 को हुआ, के अलावा 31 मार्च, 1977 तक निगम को निम्न पारेषण कार्यों के निर्माण का काम सौंपा गया था :

1. सिक्किम में गंगटाक से मेली तक, लोवर लग्याप से होते हुए 66 किलोवाट डबल-सर्किट अंतर्राज्यीय पारेषण लाइन तथा गंगटाक व मेली पर संबंधित उप गृहों का निर्माण।

2. लीमाटक से जिरीबाम तक 132 किलोवाट सिंगल-सर्किट अंतर्राज्यीय पारेषण लाइन को बिछाना।

3. नेपाल के गंडक पावर स्टेशन से, बिहार के रामनगर तक 132 किलोवाट सिंगल-सर्किट अंतर्राज्यीय पारेषण लाइन को बिछाना ; एवं

4. सहयोगी संस्था नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन की ओर से सिंगरोली सुपर थरमल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिंगरोली से ओबरा तथा सिंगरोली से कानपुर तक 400 किलोवाट सिंगल-सर्किट पारेषण लाइन को बिछाना।

4.5 निगम को उपर्युक्त पारेषण कार्य 31 मार्च, 1977 तक सौंपे गये थे। बाद में निम्न निर्माण-कार्य भी निगम को सौंप दिये गये :—

1. सलाल जल विद्युत परियोजना से संबंद्ध 220 किलोवाट पारेषण लाइनों को बिछाना (60 किलोमीटर डबल-सर्किट लाइन तथा 218 किलोमीटर सिंगल-सर्किट लाइन)।

2. मेली से कलिम्पोंग (पश्चिम बंगाल) तक 66 किलोवाट डबल-सर्किट अंतर्राज्यीय पारेषण लाइन का विस्तार।

3. सिक्किम सरकार की ओर से गैंगटाक से दिकचू तक 66 किलोवाट सिंगल-सर्किट पारेषण लाइन तथा दिकचू पर सम्बद्ध 66 किलोवाट उपगृह का निर्माण।

5. कार्य की संभावनाएं :

5.1 जहां तक तीनों केंद्रीय जल विद्युत परियोजनाओं—निगम के अंतर्गत स्थानांतरित लोकतक जल विद्युत परियोजना, संभावित स्थानांतरण वाली बायरा सियुल जल विद्युत परियोजना व सलाल जल विद्युत परियोजना का संबंध है—ये बहुत दुष्कर परियोजनाएं हैं जो कि निर्जन व भीषण क्षेत्रों में स्थित हैं। तीनों ही परियोजनाओं में अनगणित गंभीर और दुस्साहय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण कार्य में बहुत धीमी प्रगति हो रही है। जैसा कि निगम ने लोकतक जल विद्युत परियोजना में भी किया है, निगम परियोजनाओं की समस्याओं से जूझने और उनका समाधान करने के सभी संभावित कदम उठायेगा तथा प्रयास करेगा ताकि इन परियोजनाओं में यथासंभव शीघ्र और उल्लेखनीय कार्य हो, तथा आशा करता है कि भारत सरकार द्वारा निगम को अन्य कई नई एवं महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा, जिनमें प्रारंभ से ही कार्यों का समुचित व समायोजित एवं प्रभावकारी रूप से विन्यास कर सकेगा। निगम अन्य पारेषण लाइनों को बिछाने का कार्य करने का भी इच्छुक है और इस प्रकार की नई योजनाओं का वह स्वागत करता है।

5.2 लोकतक जल विद्युत परियोजना :

5.2.1 पावर स्टेशन के अतिरिक्त इस परियोजना के अंतर्गत इथाई में मणिपुर नदी पर एक बड़ा बांध है तथा इसकी जल प्रवाह प्रणाली भी बहुत कठिन व जटिल है। इसके अंतर्गत 2267 मीटर खुली नहर है, 1223 मी. लंबी और 5.0 मी. व्यास का कटा और ढका हुआ क्षेत्र, 6505 मी. लंबी., 3.81 मी. व्यास की सुरंग—273 मी. लंबी पाईप की सुरंग, व तीन 1346 मी. लंबे और 2.3 मी. व्यास का जलफपाट पाईप हैं। परियोजना की यह जल-प्रवाह प्रणाली अपने कमजोर भू-दल के कारण नितांत दुष्कर व समस्यापूर्ण सिद्ध हुई है। संपूर्ण क्षेत्र में उत्सुत कूप हैं और भू-तल अस्थिर है। फलत: इलाके में अक्सर दलदल व दुस्तर तलों का सामना करना पड़ता है। सुरंग में सात मार्गों से काम चल रहा है। इनमें से दो मार्गों—चौथे और पांचवे—में सुविधा से आग पकड़ने वाली मिथन गैस पैदा होती है जिसने अब एक भयंकर समस्या का रूप धारण कर लिया है। इस गैस के फलस्वरूप दो गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। एक अन्य मार्ग में भूमि में भील जैसे तलछट हैं गाद, रेत व गाद से भरी हुई मिट्टी है जिसपर पानी और पत्थर की परते हैं। फलत: वहां जमीन के बह जाने की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। सुरंग बनाने का संपूर्ण कार्य मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी को सौंपा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वास्तविक क्षेत्रीय स्थिति निविदा अभिलेखों में बतायी गयी क्षेत्रीय स्थिति से, जिस पर उनके द्वारा उल्लिखित कार्य-दरें भी आधारित थीं, पुरी तरह भिन्न थी। अत: उन्होंने दरों में वृद्धि करने की माँग की थी। इतना ही नहीं, मार्ग 4 व 5 में भी कार्य करने में उन्होंने अनिच्छा व्यक्त की थी क्योंकि वहां मिथन गैस की बहुतायत के कारण दो भयंकर विस्फोट हो चुके थे, जिनके फलस्वरूप उनके संस्थान के कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी थी। उपर्युक्त समस्याओं के कारण सुरंग-निर्माण का कार्य स्यसवहारिक रूप से जनवरी, 1975 से ठप्प पड़ा था। भारत सरकार ने इन विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु कई कमेटियां बनायीं तथा इस संदर्भ में आस्ट्रिया के हम-सलाहकार श्री एस० गोलसर की सहायता भी प्राप्त की। भारत सरकार ने उनके सुझावों से सहमति व्यक्त की तथा यह निश्चित किया गया कि मार्ग में जहां की भूमि बहने की स्थिति में है, एक परिरक्षक का प्रयोग किया जाएगा। मार्ग 4 और 5 में, जहां बहुत अधिक मात्रा में मिथन गैस होती है, एफ एल पी सामग्री के साथ एक स्थानीय उत्खनक का प्रयोग किया जाएगा तथा वेन्टीलेशन की उचित व्यवस्था की जायगी। साथ ही मिथनोमीटर्स व मिथेन गैस के प्रभाव को कम करने वाली प्रणाली का भी प्रयोग किया जाएगा।

5.2.2 निगम ने भारत सरकार के विद्युत शक्ति विभाग, ऊर्जा मंत्रालय तथा केंद्रीय जल आयोग की सहायता से मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी से अनेकश: वार्तालाप किया। परिणामत: मार्ग 4 और 5 के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर कार्य करने हेतु दरों का निश्चय हो गया है और उन्होंने मार्ग 2,3,6 और 7 पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। स्थानीय उत्खनक के आयात तथा मार्ग 4 व 5 के लिए एफ एल पी सामग्री को प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली गयी है तथा मार्ग 4 व 5 पर वैभागिक कार्य की व्यवस्था की जा

रही है । मार्ग 0 पर उपयोग हेतु परिरक्षक प्राप्त करने हेतु सार्वभौम निविदा भी दी जा चुकी है । मिथेन-गैस की अचानक आधिक्य हो जाने को रोकने के लिए बड़ी संख्या में मिथनोमीटर्स खरीदे गये हैं । मार्ग 4 और 5 के लिए मिथन गैस मानीटरिंग सिस्टम का आयात करने का भी प्रबंध कर लिया गया है ।

5.2.3 पूर्व उल्लिखित है कि मार्ग 6 व 7 का कार्य मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कं० द्वारा संपन्न किया जाएगा । स्थानीय उत्खनक के आने में समय लगने के कारण उन्होंने मार्ग 4 पर भी कार्य करने की अपनी सम्मति दे दी है लेकिन ऐसा उसी अवस्था तक होगा जब उन्हें मिथेन गैस के विस्फोट का सामना न करना पड़े । मार्ग 5 पर भी विभाग द्वारा सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है । आलपैन माइनर की प्राप्ति होने तक सुरंग बनाने का काम भी 3-4 महीने के भीतर प्रारम्भ कर दिया जायेगा । ढक्कनदार परिरक्षक के आयात से पूर्व विभाग द्वारा मार्ग 0 और 1 के बीच तथा मार्ग 5 पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

5.2.4 संतोष का विषय है कि जहां निगम की स्थापना के समय लोकतक जल विद्युत परियोजना के प्रतिष्ठापित होने की संभावना विधर्व और धुंधली थी, अब निगम के निरंतर प्रयासों, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व अन्य संबंद्ध विभागों के हर प्रकार के सहयोग से अब कार्य का स्वरूप धीरे-धीरे स्पष्ठ हो रहा है और उसमें गति भी आ रही है । सुरंग का काम जून, 1976 के औसत 22 मी० प्रति मास की तुलना में नवम्बर 1977 में औसत 51 मी० प्रति मास तक पहुंच गया है । निगम का विश्वास है कि अब उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गयी है और अगले कुछ महीनों में सुरंग का काम औसत 100 मी० प्रति मास तक पहुंच जाएगा ।

5.2.5 सदस्यों के लिए यह रुचि का विषय होगा कि जिस समय निगम ने लोकतक परियोजना का कार्यभार अपने हाथ में लिया था, उस समय भौतिक सुविधाओं, जैसे आवास-गृह, बेतार, निर्माण पावर व्यवस्था, शिक्षा, सामान के लदान की सुविधा, बैंक आदि की बहुत कमी थी । अब अतिरिक्त आवास गृहों का निर्माण किया जा रहा है, लीमातक व लोकतक के बीच टेलीफोन की व्यवस्था की जा चुकी है तथा सभी प्रमुख स्थलों के बीच वी. एच. एफ. प्रणाली द्वारा संपर्क स्थापित कर दिया गया है । अतिरिक्त डीज़ल जनरेटिंग यंत्रों को मंगाया गया है--निर्माण पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्हें खरीदा गया है । परियोजना क्षेत्र में अभी तक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी पर अब लीमातक तथा लोकतक में एक-एक प्राथमिक स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । सामग्री के लदान की अपर्याप्त व्यवस्था की पूर्ति के लिए एक ट्रेलर खरीदा गया है । निगम के प्रयासों के फलस्वरूप स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने परियोजना क्षेत्र में एक शाखा खोल दी है । इसके पहिले तक परियोजना पर बैंकिग सुविधाओं का पूर्ण अभाव था ।

प्रशासनिक व्यवस्था :

6.1 आपको विदित है कि निगम के निदेशक-बोर्ड में आजकल अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक तथा पांच अल्पकालिक शासकीय निदेशक सम्मिलित हैं । निगम में एक पूर्ण कालिक निदेशक (वित्त) की नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है । भविष्य में आवश्यकता के अनुसार निदेशकों, जिनमें कार्यकारी निदेशक भी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति की जाएगी ।

6.2 निगम के दीर्घावधि लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तथा एक ऐसे संस्थान का निर्माण करने हेतु जो कि अधिकाधिक व्यवहारिक हो तथा सुपरिणामों को प्राप्त करे जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों व विस्तृत नियमों के अनुरूप प्रभावोत्पादक कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता व संभावना हो, नियमित था समायोजित रूप से विकास करने की क्षमता हो, निगम ने एक विस्तृत रूपरेखा बनायी गयी है व प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया गया है । इस सम्बन्ध में प्रस्ताव निदेशक मंडल के विचाराधीन है ।

6.3 आपके निगम ने वैयक्तिक व कार्मिक क्षेत्र से संबंधित मूल नियमों के निर्धारण का कार्य भी अपने हाथ में ले लिया है । इस कार्य में काफी प्रगति हुई है तथा नियुक्ति, प्रवरता, आय निर्धारण, यात्रा भत्ता आदि से संबंधित नियम पहले ही बनाये जा चुके हैं । निगम के अधीनस्थ कर्मचारियों की आय व परिश्रमिक से संबंधित ढांचा भी निश्चित किया जा चुका है ।

6.4 लोकतक जल विद्युत परियोजना की देखरेख एक प्रमुख अभियन्ता द्वारा की जाती है, जिनकी सहायता के लिए दो अधीक्षण अभियन्ता जिनमें से एक नागरिक कार्यों तथा द्वितीय विद्युत कार्यों की देख-रेख करते हैं, और अन्य अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं । परियोजना की प्रशासनिक व्यवस्था को विशेषत: विभाग द्वारा स्वयम् किये जाने वाले सुरंग-कार्य को दृष्टि में रखते हुए तुरन्त सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । समय-समय पर यथावश्यक पदों की व्यवस्था करने के साथ-साथ उन पर व्यक्तियों

की नियुक्ति का कार्य भी किया जा रहा है। इस बात पर विशेष बल देने की ग्रावश्यकता है कि परियोजना एक कठिन व दूर के क्षेत्र में ग्रवस्थित है, जहां पर्याप्त ग्रावास-गृह, पेय-जल, शिक्षा, संचार ग्रादि सुविधाग्रों का ग्रभाव था जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना में पहले से नियुक्त ग्रधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी वापस लौट जाने की इच्छा व्यक्त की थी। पूर्वविदित है कि निगम द्वारा उचित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा कार्य के इच्छुक ग्रनुरूप योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

7. 3000/- रुपये प्रति माह से ग्रधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी :

कंपनी ग्रधिनियम 1956 की धारा 217 (2) (ए) की ग्रावश्यकता के ग्रनुसार उन कर्मचारियों का विवरण दिया जा रहा है जिनका वेतन 3000/- रुपये प्रति माह से ग्रधिक है। विवरण में उल्लेखित कर्मचारियों में से कोई भी कंपनी के किसी निदेशक से संबधित नहीं है।

8. ग्राभार :

निदेशक मंडल भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषतः ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय जल ग्रायोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केंद्रीय जल विद्युत परियोजना नियत्रण बोर्ड के ग्रनवरत व त्वरित सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनके प्रति ग्रपना ग्राभार व्यक्त करते हैं। मणिपुर, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की राज्य सरकारों एवं राज्य विद्युत बोर्ड ने इन राज्यों में कार्य को संयत्र करने में जो सहयोग दिया है उसके लिए हम विशेष रूप से ग्राभारी हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालय व विभागों, राज्य सरकारों व राज्य विद्युत बोर्ड के प्रति भी हम ग्राभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने निगम में डेपूटेशन पर नियुक्ति के लिए ग्रपने कर्मचारियों की सेवायें उपलब्ध कराई है। उनकी सहायता व सहयोग के ग्रभाव में निगम के लिए किसी भी क्षेत्र में इतनी शीघ्र, सुचारू रूप से कार्य करना संभव नहीं था।

8.2 ग्रततः निदेशक मंडल निगम के ग्रधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति भी ग्रपना ग्राभार प्रकट करता है। उन्होंने ग्रत्यन्त उत्साह ग्रौर लगन के साथ ग्रपना काम किया है ग्रौर निदेशक मंडल का पूरा विश्वास है कि ग्रागामी वर्षों में वे इससे भी बेहतर क्षमता का परिचय देंगे।

कृते निदेशक बोर्ड

(एस. एन. राय)
ग्रध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

नई दिल्ली,
दिनांक : 16 दिसम्बर, 1977

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 ए) के अन्तर्गत आवश्यक तथा कंपनी नियम (कर्मचारियों का विवरण) 1975 के साथ पढ़े जाने व 7-11-1975 से 31-3-1977 की अवधि के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन

क्रम सं	नाम	पदनाम	आयु (वर्ष)	परिश्रमिक	पद का स्वरूप-अनुबंधित अथवा अन्य	कार्य का स्वरूप	योग्यता व अनुभव	कार्यभार की तिथि
1.	श्री एस. एन. राय	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक	54	41,203	तीन वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति	निगम के प्रमुख कार्यकारी	बी. एस. सी. (इजीनि.) 31 वर्ष	1.6.76

वित्तीय ब्यौरा

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक

31 मार्च, 1977 को

देयताएं	अनुसूची	रु०
शेयर पूंजी	क	21,37,62,600
भारत सरकार द्वारा असुरक्षित कर्ज		15,47,32,600
चालू देयताएं व निधि व्यवस्थाएं	ख	81,70,556
		37,66,65,756

हस्ता.
एस. एन. राय
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

हस्ता.
वी. कृष्णास्वामी
निदेशक

पावर कारपोरेशन लिमिटेड

तुलन-पत्र

परिसम्पत्ति	अनुसूची	रु०
स्थायी पूंजी व्यय	ग	3,89,754
निर्माणाधीन कार्य	घ	31,97,65,519
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय		71,66,767
चालू परिसम्पत्ति, उधार व पेशगीयां	च	4,63,39,762
विविध व्यय	छ	30,03,954
		37,66,65,756

अनुसूची 'ज' के अनुसार लेखांश पर टिप्पणी।
अनुसूची 'क' से 'ज' तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।

लेखा-परिक्षकों का प्रतिवेदन
उसी तारीख की हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार प्रमाणित

सी-37, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110001

एस. एन. धवन एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाऊंटेंट के लिए

विजय धवन
साझीदार

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

7 नवम्बर, 1975 से 31 मार्च, 1977 तक निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय

विवरण			रु०
वेतन, पारिश्रमिक, भत्ते			12,64.041
विदेश सेवा अंशदान			1,218
स्टाफ कल्याण व्यय			39,914
अन्य प्रशासनिक व्यय			
यात्रा			71,497
लेखा-परीक्षण फीस			5 000
किराया			2,57,617
बीमा			42,387
ब्याज, बैंक व वित्तीय शुल्क			39,67,407
मरम्मत व रख-रखाव*			9,44,998
विद्युत व जल शुल्क			5,189
विज्ञापन			3,797
सुरक्षा प्रबन्ध			6,01,600
आकस्मिक व्यय			2,01,764
डिज़ाइन एवं परामर्श फीस			3,09,105
			77,15,534
घटाएं प्राप्तियां			
विद्युत शुल्क		1,75,015	
निविदा विक्रय		1,925	
मशीनों व यंत्रों का किराया		2,06,549	
जल शुल्क		800	
प्राप्त ब्याज :			
सावधिक जमा खाता	62.546		
अन्य	1,01,457		
		1,64,003	
किराया		75	
विविध आय		400	5,48,767
			71,66,767

उपर्युक्त में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक प्रदत्त निम्न राशि सम्मिलित हैं :

वेतन व परिश्रमिक : 31,425/- रु०, किराया : 8,378/- रु०

अन्य सुविधाएं (यातायात)

आयकर अधिनियम के अनुसार गणित : 1,400/- रु०

* भवन के लिए 1,04,339/- तथा मशीनों के लिए 3,75,442/- रु० सहित।

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'क'—शेयर पूंजी

अधिकृत पूंजी		रु०
20,00,000 साम्य शेयर—1,000 रु० प्रति शेयर		2,00,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी		
पूरी तरह नकद में भुगतान किए गए, 1000 रु० प्रति शेयर मूल्य के 5,233 साम्य शेयर		52,33,000
जमा शेयर पूंजी		
शेयरों के आवंटन हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि :		
नकद	4,00,00,000	20,85,29,600
लोकतक जल विद्युत परियोजना हेतु ऋण का अंश	16,85,29,600	
		21,37,62,600

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'ख'--चालू देयताएं व निधि व्यवस्थाएं

चालू देयताएं	रु०
फुटकर लेनदार	23,57,084
सुरक्षित ऋण-पत्र व पेशगी जमा	18,06,019
प्राप्त ब्याज जो कर्ज पर देय नहीं था	39,65,023
अन्य देयताएं	42,430
	81,70,556

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची ग—स्थायी पूंजी व्यय

अनुक्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरण	सकल ब्लाक		अवधि के दौरान मूल्य ह्रास	31 मार्च 1977 को कुल ब्लाक
		अवधि के दौरान अधिशेष	31 मार्च 1977 को मूल्य		
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	फर्नीचर, स्थावर एवं कार्यालय का साज-सामान	3,54,956	3,54,956	—	3,54,956
2.	वाहन	34,798	34,798	—	34,798
	योग	3,89,754	3,89,754	—	3,89,754

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'घ'—निर्माणाधीन कार्य

		रु०
1.	पूर्णस्वामित्व भूमि	15,03,236
2.	बांध	46,13,756
3.	जल विकास विधि	18,96,72,828
4.	पावर हाऊस	1,77,04,170
5.	उत्पादन संयंत्र एवं मशीनें	4 31,57,082
6.	संचारण व्यवस्था	34,34,945
7.	भवन व संचार	2,18,23,547
8.	मशीनें व सामग्री	3,50,67,149
9.	आनुषंगिक कार्य	23,94,586
10.	फर्नीचर, स्थावर एवं कार्यालय का साज सामान	1,04,862
11.	वाहन	2,89,358
		31,97,65,519

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'च' चालू परिसम्पत्ति, उधार व पेशगियां

	रु०
(अ) चालू परिसम्पति	
स्टाक-हस्तस्थ	
(प्रबन्ध द्वारा लिया गया, मूल्यांकित तथा प्रमाणित)	3,32,43,893
नकद व बैंक शेष	
हस्तस्थ नकद, चेक, अग्रदाय व डाक टिकट	2,94,598
अनुसूचित बैंकों में शेष	
(i) चालू लेखा में	51,07,502
(ii) अल्पावधि खाते में	25,00,000
(iii) उपचित ब्याज जो अल्पावधि खाते पर देय न था	2,419
(ब) कर्ज व पेशगियाँ	
(असुरक्षित प्राप्त माने गए) नकद अथवा अन्य रूप अथवा मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम	51,91,350
	4,63,39,762

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'छ'--विविध व्यय

	रु०
विविध व्यय (बट्टे खाते में डाले अथवा समायोजित स्तर तक)	
प्राथमिक व्यय	30,03,954

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अनुसूची 'ज'—लेखा पर टिप्पणियां

1. कार्यान्वित होने से पूर्व अनुबन्धों पर अनुमानित धन राशि—धन राशि अनिश्चित—-

2. लाभ व हानि का लेखा तैयार नहीं किया गया क्योंकि निगम के प्रमुख कार्य निर्माणाधीन है तथा अभी तक उसने राजस्व कार्य प्रारंभ नहीं किया। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसूची—VI, भाग II के अंतर्गत आवश्यक सूचना निम्न है :

कर्मचारी जिन्होंने अल्पावधि के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया जो 3,000/- रु० प्रति माह या अधिक था

कर्मचारियों की संख्या	वेतन व पारिश्रमिक रु०	आयकर अधिनियम के अनुसार सुविधाओं का मूल्य रु०	कुल रु०
1	31,425	5,578	37,003

3. लेखा में करों की व्यवस्था नहीं की गयी है, क्योंकि ऐसी किसी देयता को निगम की संभावना नहीं है।

4. लेखा-परीक्षा फीस की व्यवस्था पर कंपनी विधि बोर्ड का अनुमोदन होना बाकी है। लेखा सेवा के लिए 2500 रु० तथा लेखा परीक्षकों के लिए 3801 रु० के अनुमानित खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है।

5. निगम का प्रथम वित्तीय वर्ष होने के कारण पिछले वर्ष के आँकड़े नहीं दिये गये।

6. भारत सरकार (ऊर्जा मंत्रालय) के दिनांक 15.6.77 के पत्र संख्या 1.8.75 सी. पी. सी. (भाग-II) द्वारा लोकतक परियोजना की परिसम्पत्ति का हस्तांतरण मूल्य 32,32,62,200 रु० निश्चित किया गया है जिस मूल्य को, परियोजना के हस्तांतरण अनुबंध में दिए गए अनुमानित मूल्य 31,20,60,000 रु० के स्थान पर, लेखा में लिया गया है। मणिपुर राज्य से सिंचाई के व्यय के अंश के रूप में प्राप्त हुए 61,10,000 रु० तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हुए 13,24,481 रु० के बारे में निगम और भारत सरकार के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है। परियोजना के हस्तांतरण अनुबंध में दिए गए अनुमानित मूल्य और परियोजना के हस्तांतरण के समय का यथार्थ मूल्य, जिसकी मंजूरी ऊर्जा मंत्रालय से प्राप्त है, के बीच शेष को निगम की अनुमति प्राप्त है।

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

हमने मैसर्स नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1977 तक के अनुबद्ध तुलन-पत्र तथा निगम के उसी तारीख को समाप्त होने वाले आकस्मिक व्यय विवरण का लेखा परीक्षण कर लिया है :-

1. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्माता व अन्य कंपनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 1975 के अनुसार हम अनुच्छेद 4 और 5 में उठाये गये प्रश्नों का पूरा विवरण संलग्न सूची में देते हैं।

2. अनुच्छेद 1 में संदर्भित अनुलग्नक में हमारे विवरण के अतिरिक्त :

   (अ) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   (ब) हमारी जांच के अनुसार निगम ने लेखा पुस्तकें विधि अनुसार व उचित रूप में रखी हैं।

   (स) तुलन-पत्र व आकस्मिक व्यय के विवरण तथा हमें दिखायी गयी लेखा पुस्तकों में अनुरूपता है।

   (य) हमारी राय, सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना प्राप्त होती है :-

1. भारत सरकार और निगम के बीच 30.12.1976 को हुए अनुबंध तथा भारत सरकार (ऊर्जा मंत्रालय) के साथ पठित पत्र सं० 1/8/75 सी पी सी (भाग II) दिनांक 15.6.1977 तथा पत्र सं० डी ओ/एफ ए/एन एच पी सी/1019 दिनांक 10.12.1976 में दिये गये विवरण में प्रदत्त लोकतक जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्ति 32,32,62,200 रुपये की है जो लेखा में भी उसी रूप में दी गयी है । उपयुक्त सूचना के अभाव में गजट सं. 1-2/75 सी पी सी, भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (शक्ति विभाग) दिनांक 30-12-76, अनुच्छेद 3 (बी) के अनुरूप अन्य देयताओं व परिसंपत्ति का लेखा प्रदत्त नहीं है।

२. पूर्व अवधि से संबंध लेकिन 1-1-1977 के पश्चात भुगतान किये गये व्यय व परिसंपत्ति का लेखा संबंधित लेखा खातों में प्रदत्त है।

3. मैसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के साथ किये गए संशोधित अनुबंध में उचित धनराशि के अनिश्चित होने के कारण अतिरिक्त दावों की निधि व्यवस्था नहीं दी गयी है।

4. कर्मचारियों को यात्रा के लिए व आपूरकों को आपूर्ति के लिए किये गए अंतिम भुगतान को संबंधित लेखा खातों में डाल दिया गया है क्योंकि अग्रिम भुगतान का समायोजन पिछली अवधि में किया गया था।

5. उपयुक्त सूचना के अभाव में निम्न की जांच नहीं हो सकी :-

   (अ) ऊर्जा व जल का विक्रय व जल शुल्क

   (ब) आपूरकों से अग्रिम धनराशि से मिलने वाले ब्याज

(स) मशीनों व यंत्रों का किराया

(द) भंडार व स्पेयर्स की खपत तथा अनुबंधकर्ताओं व अन्य से वसूली

(ए) विविध लेनदारों को दी जाने वाली 60,223,00 रुपये की धनराशि

(फ) प्राप्त किराया

6. लेखा की पुष्टि/विवरण के अभाव में आपूरकों व अनुबंधकर्ताओं का लेखा, कर्मचारियों को अग्रिम, प्राप्त सुरक्षा व पेशगी खाते तथा ए. जी. मनिपुर का खाता, की जांच नहीं की जा सकी।

7. हस्तस्थ धनराशि व अग्रदाय शेष में लोकतक के विभाग प्रमुख की ओर 2,84,942.55 रुपए का अग्रदाय (अधिकांश व्यय) शेष है। इस व्यय के लिए किसी प्रकार की विधि व्यवस्था नहीं की गयी है।

8. मनिपुर सरकार द्वारा किए गए 61,10,000.00 अंशदान, जो कि लोकतक पावर चैनल में प्रदत्त सिंचाई सुविधाओं का मूल्य है और मनिपुर सरकार का हिस्सा है, का लेखा नहीं किया गया है।

9. प्रयोग में आने वाली परिसंपत्ति ह्रास पर शुल्क नहीं लिया गया।

10. निम्न विधि व्यवस्था नहीं की गयी :-

(अ) प्राप्त भंडार लेकिन जिनका धन नहीं चुकाया गया

(ब) केंद्रीय विक्रय कर

(स) भविष्य निधि

(द) उपदान

(ए) अधिलाभ

11. लोकतक परियोजना पर प्रयोग की जाने वाली परिसंपत्ति को "स्थायी पूंजी व्यय" के स्थान पर "निर्माणाधीन कार्य" के अंतर्गत दिखाया गया है।

12. लेखा शुल्क एवं लेखा परीक्षकों को दिए गए जेब खर्च, जो लेखा कि अनुसूची 'ज' की टिप्पणी सं 4 में संदर्भित, है, के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है।

निम्न का सही व स्पष्ट चित्रण करते हैं :-

1. तुलन पत्र के विषय में 31 मार्च, 1977 को निगम की परिस्थिति

2. आकस्मिक व्यय के विषय में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम के व्यय के बारे में।

कृते एस० एन० धवन एंड कं०

चार्टर्ड एकाऊंटेंट

विजय धवन

साझीदार

दिनांक : 23 दिसम्बर 1977

लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक जो उसी तारीख का हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 1 में संदर्भित है

1. निगम ने अपनी परिसम्पत्ति जिससे कि निगम के मुख्यालय का संबंध है, का पूर्ण विवरण व उचित रिकार्ड रखा है। उपर्युक्त की जांच प्रबंध द्वारा भी की गयी तथा उसमें कोई त्रुटि दिखायी नहीं दी। लोकतक परियोजना की परिसम्पत्ति से संबंध परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

2. अवधि के दौरान किसी भी स्थायी परिसम्पत्ति का पूनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

3. प्रबंध द्वारा अवधि के दौरान भंडार व स्पेयर पार्टस की जाँच नहीं की गयी। इस प्रकार के भण्डार का मूल्यांकन प्रबंध द्वारा क्रय मूल्य पर किया गया है तथा हमने इसकी जांच नहीं की है।

4. निगम ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 और 370 के अर्न्तगत रखे रजिस्टर में सूचित किसी कंपनी, फर्म व अन्य पार्टी से किसी भी प्रकार का कर्ज़ नहीं लिया है।

5. निगम द्वारा किसी प्रकार का कर्ज़ व अग्रिम कर्ज़ के रूप में नहीं दिया गया है।

6. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार निगम के आकार व इसके व्यापार, भंडारग्रह, स्पेयर पार्टस, संयंत्र व मशीनों तथा अन्य परिसम्पत्ति खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में आंतरिक नियन्त्रण प्रक्रिया विद्यमान है।

7. निगम ने फर्म, कंपनियों अथवा अन्य पार्टियों से जिनमें निदेशकों की रुचि है—10,000/–रु० मूल्य से अधिक के भंडार-स्पेयर पार्ट नहीं खरीदे।

8. अनुच्छेद 3 में उल्लिखित को दृष्टि में रखते हुए, निगम द्वारा भंडार व स्पेयर पार्टस की जांच नहीं करवायी गयी, क्योंकि इस प्रकार के बिना मरम्मत किये गये व क्षति वाले भंडार व स्पेयर पार्टस की कुल क्षति वाले भंडार व स्पेयर पार्टस की कुल क्षति निश्चित नहीं थी। अतः उनके लिए पूंजी की व्यवस्था नहीं की गयी।

9. निगम ने जन-साधारण से किसी प्रकार का धन जमा (डिपाज़िट) नहीं किया।

10. हमारी सूचना के अनुसार किसी प्रकार के अनु-उत्पादनों अथवा स्क्रैप आदि का उत्पादन नहीं किया जाता अतः उचित रिकार्ड की आवश्यकता नहीं है।

11. अवधि के दौरान निगम के पास आंतरिक लेखा-जांच की व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि प्रबंध ने हमें बताया है कि आंतरिक लेखा जांच का तंत्र निगम के विचाराधीन है।

12. केंद्र सरकार के कंपनी अधिनियम—1956 की धारा 209 (1) (डी) के अनुसार क्रय के रिकार्ड को रखने की आवश्यकता नहीं है।

13. अवधि के दौरान उचित अधिकरणों को भविश्य निधि जमा नहीं करायी गयी क्योंकि निगम ने अभी तक भविष्य निधि नियमों को लागू नहीं किया है।

कृते एस० एन० धवन एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाऊंटेंट,
विजय धवन
साझीदार

दिनांक : 23 दिसम्बर, 77

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

मैं सूचित करता हूं कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 1977 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं है।

ए. सी. बोस
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड
तथा पदेन् निदेशक,
वाणिज्य लेखा परीक्षा

नई दिल्ली
दिनांक : 23 दिसम्बर, 1977

Designed and Produced by New Fields Advertising (P.) Ltd., and Printed at Ekta Press, 97-98 DSIDC Industrial Complex, Okhla Phase II, New Delhi-110020.